टॉमस हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद और निरंकुशतावाद के तत्व

डॉ0 प्रभा गौतम,

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, विद्यान्त हिन्दू पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ, उ0प्र0

शोध सारांश

राज्य की उत्पत्ति के 'सामाजिक समझौता सिद्धान्त' के प्रवर्तक पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तक थॉमस हॉब्स द्वारा प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से मुक्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा किये गये समझौते के उपरान्त एक निरंकुश प्रभुसत्ता की स्थापना की है, फलतः उन पर निरंकुशवादी विचारक होने का आरोप लगता है, लेकिन उनके राजनीतिक चिन्तन के अध्ययन के उपरान्त ज्ञात होता है कि उन्होंने निरंकुश सत्ता की स्थापना मानवीय हित के दृष्टिकोण से की है, चूँकि शान्ति व्यवस्था, व्यक्ति के जीवन एवं सम्पति की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। राज्य यदि व्यक्ति के हित संवर्धन में सहायक नहीं है तो वह व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार भी प्रदान करता है। राज्य की स्थापना, राज्य का अस्तित्व, कानूनों का प्रणयन आदि, व्यक्ति की उपयोगिता पर ही आधारित है। हॉब्स द्वारा व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना गया है अतः हॉब्स के दर्शन में निरंकुशतावादी तत्व व्यक्ति के हितार्थ ही आये हैं। वह मूलतः एक व्यक्तिवादी चिन्तक हैं जिन्होंने व्यक्ति की उपयोगिता को आधार बनाकर अपने राजदर्शन की रचना की है।

मुख्य शब्द — *हॉब्स, निरंकुशवाद, व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद, राज्य, सम्प्रभु*

राज्य की उत्पत्ति के 'समझौता सिद्धान्त' को विधिवत राजनीति विज्ञान में स्थापित करने का श्रेय थॉमस हॉब्स को प्राप्त है। उन्होंने सर्वप्रथम भौतिक विज्ञानों में प्रयुक्त भौतिक पद्धति को राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त कर राजनीतिक चिन्तन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया, उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक राजनीतिक दर्शन का सृजनकर्ता माना जाता है। हॉब्स के समय जो राजनीतिक परिदृश्य था, उससे उसे विश्वास हो गया था कि मानव जीवन की सुरक्षा हेतु सुदृढ़ शासन व्यवस्था आवश्यक है। अपने इन विचारों को उन्होंने दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान कर नवीन राजनीतिक सिद्धान्त प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया।

हॉब्स का जन्म इंग्लैण्ड के बिल्टशायर के माम्सबरी नामक स्थान पर 5 अप्रैल, 1588 को हुआ था। पन्द्रह वर्ष की अवस्था में उन्हें उच्च शिक्षा हेतु ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया, तत्पश्चात वह विलियम कैवन्डिस के पुत्र एवं उत्तराधिकारी के संरक्षक और शिक्षक बने। राजपरिवार के सम्पर्क में आने के कारण उन्होंने जीवनपर्यन्त राजतन्त्रवादी विचारधारा का समर्थन किया। इंग्लैण्ड के गृहयुद्ध के प्रत्यक्षदर्शी (समकालीन) होने के कारण उन्हें तत्कालीन परिस्थितियों से यह विश्वास दृढ़ हुआ कि देश में शान्ति व सुव्यवस्था की स्थापना के लिए राजतन्त्र आवश्यक है। गिलक्राइस्ट ने इस विषय में कहा है कि, ''इस गृहयुद्ध के परिणामों से वह बहुत दुःखी हुआ, इससे उसका निश्चित मत बना कि इस देश की मुक्ति का एक ही मार्ग है— शक्तिशाली निरंकुश राजसत्ता की स्थापना। 1649 में चार्ल्स प्रथम को फाँसी के उपरान्त राजतन्त्रवादियों के साथ वह फ्रांस चले गये, जहाँ

उनके धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी विचारों को लेकर वहाँ की कैथोलिक समाज की प्रतिक्रियास्वरूप वापस इंग्लैण्ड आकर आत्मसमर्पण किया। सन् 1660 में उनके शिष्य चार्ल्स द्वितीय के राजा बनने के उपरान्त उनके सम्मान की वापसी हुई।

हॉब्स की प्रमुख रचनाएँ डी सिवे, डी कारपोरे, लेवियाथन एवं एलीमेंट्स ऑफ लॉ हैं।

'लेवियाथन' हॉब्स की राजनीतिक दर्शन पर अति महत्त्वपूर्ण रचना है, इसमें उन्होंने निरंकुशतावादी राजतन्त्र का समर्थन किया है। यह रचना उन्होंने समकालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर रचित की है। इसकी प्रस्तावना में उन्होंने स्वयं उद्धृत किया है कि, ''यह पक्षपातहीन है, क्रियाशीलताहीन है या किसी अन्य मन्तव्य से नहीं, बल्कि लोगों की आँखों के सामने यह निश्चित करने हेतु लिखी गई है कि संरक्षण व आज्ञापालन के मध्य परस्पर क्या सम्बन्ध है।'' हॉब्स की अन्य पुस्तकों, यथा–डी0 सिवे में प्रभुसत्ता की परिभाषा, डी0 कारपोरे में प्रकृति के साथ सम्प्रभु का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए, का विश्लेषण एवं एलीमेन्ट्स ऑफ लॉ में विधि का विश्लेषण एवं विधि के प्रकारों की विवेचना की हैं।

हॉब्स के राजनीतिक दर्शन में व्यक्तिवादी, निरंकुशवादी, उपयोगितावादी विचारों के विश्लेषण से पूर्व हॉब्स के राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त अवलोकन समीचीन होगा। हॉब्स ने भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली पद्धतियों को अपने सम्पूर्ण दर्शन में प्रयुक्त कर राजदर्शन में निरंकुशतावाद तथा धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए वैज्ञानिक आधार तैयार किया है। हॉब्स द्वारा मानव स्वभाव की विस्तृत व्याख्या की गई है, उसके अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी है जो सभी कार्य स्वहित को दृष्टि में रखते हुए करता है, स्वहित के कारण ही स्वयं परस्पर समझौते कर उसने राज्य का निर्माण किया है। अरस्तु के विचार कि 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है', से हॉब्स सहमत नहीं हैं। वह मनुष्य को असामाजिक प्राणी मानता है, उसका मानना है कि मनुष्य इस प्रयत्न में रहता है कि उसकी सम्पत्ति एवं जीवन सुरक्षित रहे और उसकी आवश्यकतायें पूर्ण होती रहे, यदि इसकी पूर्ति में कहीं बाधा आ रही है तो वह हिंसक हो जाता है और बाधक को विनष्ट करने में कोई संकोच नहीं करता है। लक्ष्य की प्राप्ति में सभी मनुष्यों की योग्यता लगभग बराबर होती है, बौद्धिक योग्यता की कमी की पूर्ति शारीरिक योग्यता से और शारीरिक योग्यता की कमी की पूर्ति बौद्धिक योग्यता द्वारा की जा सकती है। मानव के मध्य झगड़ों को वह मानवजनित और प्रकृतिजनित मानता है, जैसे–प्रतिस्पर्द्धा, पारस्परिक अविश्वास और वैभव। प्रतिस्पर्द्धा लाभ की प्राप्ति के लिए, अविश्वास रक्षा हेतु चिन्ता के कारण, वैभव प्रसिद्धि प्राप्ति की इच्छा के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण मनुष्य स्वभावतः संघर्षरत रहता है। हॉब्स के मतानुसार मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी प्राणी है। हॉब्स ने मनुष्यों की केवल आसुरी प्रकृति ही नहीं अपितु दैवीय प्रकृति का भी उल्लेख किया है, उसने कहा है, ''मनुष्य में कुछ ऐसी इच्छाएँ भी होती हैं जो उसे युद्ध के लिए नहीं अपितु शान्ति एवं मैत्री के लिए भी प्रेरित करती है। आराम की इच्छा, ऐन्द्रिक सुख की कामना, मृत्यु का भय, परिश्रम से अर्जित वस्तुओं के भोग की लालसा मनुष्य को एक शक्ति की आज्ञा मानने के लिए बाध्य कर देती है।'' (लेवियाथन) इस प्रकार हॉब्स के अनुसार मनुष्य में आसुरी प्रकृति की ही प्रधानता है, दैवीय प्रवृत्ति उसमें केवल स्वार्थसिद्धि के लिए ही है ।

मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति के कारण हॉब्स ने सामाजिक स्थिति से पूर्व एक अराजक प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की है, जिसमें मानवीय जीवन अत्यन्त नारकीय, असह्य, दुरुह एवं हिंसा प्रधान था। ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, नौचालन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों, ज्ञान, समाज आदि का कोई स्थान नहीं

था तथा मनुष्य का जीवन एकांकी, दीन, अपवित्र एवं क्षणिक होता था। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता, कानून और व्यक्तिगत सम्पत्ति का अभाव है। हॉब्स की इस प्राकृतिक अवस्था के विचार का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, न ही स्वयं हॉब्स द्वारा ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं। उसकी प्राकृतिक अवस्था राज्य का एक कल्पनात्मक विकल्प है, यह वह स्थिति है जिसमें मनुष्य पहुँच जायेंगे, यदि उसके कार्यों को नियन्त्रित व विनियमित करने वाली कोई शक्ति नहीं होगी।

प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स ने मनुष्यों के 'प्राकृतिक अधिकार' एवं 'प्राकृतिक कानून' का भी वर्णन किया है। व्यक्ति को अपने जीवन सुरक्षा के लिए किसी को भी लूटने या हत्या करने की स्वतन्त्रता थी। टी0एच0 हग्सली ने इसे 'शेर का अधिकार' की संज्ञा दी है, लेकिन मनुष्य के इस प्राकृतिक अधिकार से जीवन असुरक्षित हो जाता है अतः जीवन को सुरक्षित करने एवं सुखपूर्वक जीवनयापन की आवश्यकता के लिए मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में भी प्राकृतिक कानून बना लेते हैं। हॉब्स द्वारा इन्हें 'शान्ति की धाराओं' का नाम दिया है। ''यह वह नियम है जो विवेक द्वारा खोजा गया है, जिसके लिए मनुष्य के कार्य निषिद्ध हैं जो उसके जीवन के लिए विनाशप्रद हैं।'' हॉब्स द्वारा उन्नीस प्राकृतिक नियम प्रतिपादित किये गये हैं, जिनका सार तत्व है, ''दूसरों के साथ तुम वैसा ही करो, जैसा अपने लिए उनसे चाहते हो।'' हॉब्स द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक कानूनों का पालन कर मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में भी सुखी और संरक्षित जीवनयापन कर सकते हैं। हॉब्स द्वारा 'आत्मरक्षा' का सिद्धान्त भी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार 'मनुष्य अपने जीवन एवं शक्ति को सुरक्षित रखने और वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। आत्मरक्षा का उद्देश्य मनुष्य के जैविक अस्तित्व को कायम रखना है जो बात इसमें सहायक है, वह शुभ हैं और जो असहायक है वह अशुभ हैं।

मनुष्य को जब यह ज्ञान हो जाता है कि उसके भय एवं कष्टों का कारण उसकी पाशविक प्रवृत्तियाँ हैं, तब उसका विवेक उसको इस अवस्था से मुक्ति का रास्ता बताता है। ''तू भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न कर जो तू अपने साथ दूसरों द्वारा किया जाना अन्यायपूर्ण समझता है।'' इस ज्ञान के पश्चात् भी मनुष्य अपने हितों की पूर्ति के लिए अपनी भावनाओं और संवेगों पर नियन्त्रण नहीं रख पाता है, जिससे मनुष्य का जीवन संघर्षरत रहता है, फलतः समाज पर मनुष्यों के जीवन को नियमित करने के लिए व्यक्ति या व्यक्ति समुदाय की आवश्यकता अनुभव की जाती है। इसी आवश्यकता ने राज्य को जन्म दिया, फलतः सभी मनुष्यों ने परस्पर समझौता किया, जिसका प्रारूप था, ''मैं इस व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार और शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता है कि तुम भी अपने इस अधिकार को इसी तरह (इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को) समर्पित कर दो।'' तत्पश्चात् अधिकार प्राप्त सम्प्रभु की उत्पत्ति हुई और अधिकार समर्पित करने वाले व्यक्ति प्रजा हो गई। हॉब्स के अनुसार सम्प्रभु के अधिकार असीमित रहे, क्योंकि सर्वाधिकार सम्पन्न सम्प्रभु ही सुदृढ़ शासन की स्थापना कर सकता है। सम्प्रभु के ऊपर नियमों के बन्धन से अनिश्चय व विश्वास का जन्म हो सकता है, फलतः अराजकता की स्थिति पुनः उत्पन्न हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में हॉब्स प्रभुसत्ता की अवहेलना का अधिकार व्यक्तियों को प्रदत्त करता है, यदि राजा व्यक्ति को स्वयं को मारने, घायल करने या अपने पर आक्रमणकर्ता का विरोध करने, वायु, औषधि या जीवनदायी अन्य किसी वस्तु का प्रयोग न करने की आज्ञा प्रदान करता है।

'सामाजिक समझौते' द्वारा सत्ता प्राप्त हॉब्स का 'लेवियाथन' सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न निरंकुश शासक है, उसका आदेश ही कानून है, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है और उसकी

प्रभुसत्ता निरपेक्ष, अविभाज्य, स्थायी एवं अदेय हैं, प्रभुसत्ता का नियन्त्रण व्यक्ति के कार्यों और विचारों दोनों पर है। गैटेल के अनुसार, ''हॉब्स के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा विचारक नहीं हुआ है जिसने प्रभुसत्ता के बारे में इतना अतिवादी दृष्टिकोण अपनाया हो।'' सेवाइन ने इस विषय में कहा है कि हॉब्स की दृष्टि में निरंकुश शक्ति और पूर्ण अराजकता, सर्वशक्ति सम्पन्न शासक और समाजहीनता इन दोनों के मध्य कोई विकल्प नहीं है। बोदा द्वारा सम्प्रभु पर लगाये गये सम्पत्ति के प्रतिबन्ध को हॉब्स नकारता है, उसकी दृष्टि में सम्प्रभु ही सम्पत्ति का सृजनकर्ता है, क्योंकि वह समाज में शान्ति व व्यवस्था का कारक है, जिसमें व्यक्ति धनोपार्जन करते हैं, इसलिए सम्पत्ति सम्बन्धी नियमन, करारोपण करने का उसे पूर्ण अधिकार है।

सम्प्रभुता के निवास की दृष्टि से हॉब्स ने शासन प्रणालियों का विभेद किया है, एक व्यक्ति में सम्प्रभु का निवास है तो राजतन्त्र, कुछ व्यक्तियों के समूह में है तो कुलीनतन्त्र और जनसमूह में है तो वह लोकतन्त्र है। मिश्रित और सीमित शासन प्रणाली का हॉब्स की दृष्टि में कोई स्थान नहीं है क्योंकि प्रभुसत्ता अविभाज्य है। हॉब्स राजतन्त्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानता है, क्योंकि राजतन्त्र में राजा और राज्य का वैयक्तिक तथा सार्वजनिक हित एक है, द्वितीय स्थायित्व की दृष्टि से राजतन्त्र श्रेष्ठ है।

हॉब्स द्वारा प्राकृतिक कानून एवं ऐतिहासिक परम्पराओं को कानून व विधि निर्माण में कोई स्थान नहीं दिया गया है। उसके अनुसार इस विषय में सम्प्रभु की दृढ़ संकल्प क्रिया ही प्रधान हैं, विधियाँ सम्प्रभु का आदेश है, बहुत ज्यादा विधि निर्माण के हॉब्स पक्ष में नहीं हैं, चूँकि उनके क्रियान्वयन और नागरिकों के कानून के प्रति सम्मान की दृष्टि से यह उचित नहीं हैं। हॉब्स के राजनीतिक विचारों पर संक्षिप्त दृष्टिपात करने के उपरान्त उसके विचारों में निहित व्यक्तिवाद, निरंकुशवाद व उपयोगितावाद से सम्बन्धित विचारों का विश्लेषण अवलोकनार्थ है।

पुनरोदय और सुधार आन्दोलन द्वारा मध्ययुगीन परम्पराओं की समाप्ति के पश्चात् पन्द्रहवीं शताब्दी में राजदर्शन में भी एक नवीन विचारदर्शन का उदय हुआ, जो व्यक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। व्यक्तिवाद के दर्शन हमें मैकियावली, लूथर, कोपरनिकस के विचारों में होते हैं। मध्य युग की कुछ विशेषताएँ थीं, पाश्चात्य यूरोप पर रोमन चर्च एवं पवित्र रोमन साम्राज्य, राष्ट्रीय राज्यों का अभाव, जीवन के सभी पक्षों पर धर्म का प्रभाव, सामन्तवाद आदि, लेकिन सुधार आन्दोलन व फ्रांसीसी क्रान्ति के उपरान्त यूरोप में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, नव उदित सामाजिक वर्ग मध्यम वर्ग ने राज्य शासन पर अपना पूर्णाधिकार कर लिया, फलतः राज्य एवं व्यक्ति के सम्बन्ध पुनः परिभाषित हुए। इसी परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिवादी विचारधारा की व्युत्पत्ति हुई जिसका मूल सिद्धान्त है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, वह अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णायक है, राज्य तब तक व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, जब तक दूसरे व्यक्ति की स्वतन्त्रता बाधित न हो, अतः राज्य व्यक्ति सम्बन्धों में व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन। राज्य की निरंकुशता पर अंकुश, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार, राजनीतिक सहभागिता आदि इसके मूल तत्व हैं। व्यक्तिवाद की धारणा है कि सभी संस्थाएँ, संघ, राज्य सहित सभी का निर्माण व्यक्ति के हित की दृष्टि से हुआ है। हॉब्स द्वारा एक सामाजिक समझौते द्वारा निरंकुश सम्प्रभुता की स्थापना की गई, उस पर आरोप लगता है कि उसका विचारदर्शन निरंकुशवादी है, लेकिन विश्लेषण के उपरान्त ज्ञात होता है कि उसके विचारदर्शन का केन्द्रबिन्दु व्यक्ति है। उसकी दृष्टि में राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य, जो व्यक्तिवाद का मूल सिद्धान्त है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हॉब्स पूर्णतः व्यक्तिवादी है, वह व्यक्ति की प्राकृतिक समानता पर बल देता है।

हॉब्स ने मनुष्य को एक असामाजिक प्राणी बताया है, व्यक्ति के सभी कार्य स्वयं की सम्पत्ति एवं जीवन की सुरक्षा पर केन्द्रित होते हैं, वह अपने मनोवेगों, अहं एवं लोभ से प्रेरित होकर ही कार्य करता है। मानव स्वभाव का यह चित्रण व्यक्तिवादी विचारधारा का ही द्योतक है।

द्वितीय– हॉब्स द्वारा राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित एक कृत्रिम रचना माना है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही कार्य करता है तो राज्य का निर्माण भी उसने अपने हित संवर्धन (सम्पत्ति एवं जीवन की सुरक्षा) के लिए ही किया है। उसके अनुसार व्यक्ति बिलकुल अलग–अलग इकाइयाँ है और राज्य ऐसी वाह्य शक्ति है जो उन्हें एकता के सूत्र में बाँधती है और उनके समान स्वार्थों में सामंजस्य स्थापित करती है। यदि हॉब्स कट्टर निरंकुशवाद का समर्थक होता तो वह राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं, अपितु शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा निर्मित या दैवीय कृति स्वीकारता, उसके अनुसार सामाजिक समझौता व्यक्ति के हितार्थ हुआ है, राज्य के लिए नहीं।

तृतीय– हॉब्स द्वारा व्यक्ति को साध्य एवं राज्य को उसके हितों का संवर्धन का साधन माना गया है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति के स्वार्थपूर्ति के अतिरिक्त राज्य का कोई अन्य उद्देश्य नहीं है, व्यक्ति की सम्पत्ति, जीवन व अन्य हित जब तक सुरक्षित हैं, तभी तक राज्य का अस्तित्व व्यक्तियों में राज्यभक्ति, आदेश पालन की भावना एवं आत्मसमर्पण है, अन्यथा वह इससे विद्रोह कर स्वतन्त्र होकर विमुक्त हो सकते हैं।

चतुर्थ– हॉब्स व्यक्तियों को परिस्थिति विशेष में राज्य के विद्रोह का अधिकार भी प्रदत्त करता है। यदि राज्य व्यक्ति की सम्पत्ति एवं जीवन को सुरक्षित रखने में अक्षम है तो व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार है। हॉब्स का यह विचार पूर्णतः व्यक्तिवादी है, यह सामाजिक या सामूहिक कल्याण की भावना से उत्पन्न विचार नहीं है।

पंचम– हॉब्स व्यक्तियों को राज्य द्वारा निर्देशित कुछ कानूनों के उल्लंघन करने की स्वतन्त्रता भी प्रदान करता है, यथा–यदि राज्य व्यक्ति को स्वयं को मारने, घायल करने या अपने पर आक्रमणकर्ता का विरोध न करने, वायु, औषधि या जीवनदाता अन्य किसी वस्तु का प्रयोग न करने की आज्ञा देता है। व्यक्ति को सैनिक के रूप में सेवा करने से मना करने की अनुमति भी हॉब्स द्वारा प्रदान की गई है।

षष्ठम– लेवियाथन को भी हॉब्स द्वारा निरंकुश (सम्पूर्ण) प्राधिकार प्रदत्त नहीं किये गये हैं। व्यक्ति के क्रय–विक्रय, निवास स्थान के चयन, भोजन, व्यापार, शिक्षा, निजी विश्वास व विचार, अन्तःकरण की स्वतन्त्रता में राज्य के हस्तक्षेप का निषेध है।

सप्तम– हॉब्स द्वारा राजतन्त्र को सर्वश्रेष्ठ बताये जाने के पीछे का कारण भी उसकी व्यक्तिवादी धारणा को पुष्ट करता है कि राजा का और राज्य का वैयक्तिक तथा सार्वजनिक हित एक ही होता है। हॉब्स के चिन्तन में व्यक्तिवादी तत्वों के विवेचन के उपरान्त निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राज्य व्यक्ति का अन्त नहीं है, व्यक्ति निश्चित रूप से राज्य का अन्त है।

उपयोगितावाद अट्ठारहवीं सदी का एक व्यवहारिक दर्शन था, जिसका उद्देश्य 'अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख' का विचार प्रतिपादित कर सम्पूर्ण समाज का कल्याण करना था। इनका विचार बिन्दु था कि राज्य की सभी संस्थायें, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, न्यायिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था, कानून सभी का लक्ष्य व्यक्ति के लिए 'चरम सुख' की प्राप्ति के लिए रत रहना है। ह्यूम, जर्मी बेन्थम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल आदि इस विचारधारा के प्रमुख प्रतिपादक रहे हैं। यह सिद्धान्त कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रेरणा स्रोत है।

उपयोगितावाद व्यक्तिवाद से संलग्नित विचार है, फलतः हॉब्स के विचारों में उपयोगितावादी विचारों के दर्शन भी होते हैं, यथाः–

प्रथम–हॉब्स के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए किया है, प्राकृतिक अवस्था के कष्टों को दूर करने एवं जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु राज्य व समाज का निर्माण किया गया है, राज्य व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोगी है, फलतः वह उसके कानूनों का पालन करता है। द्वितीय– राज्य सम्पत्ति का सृजनकर्ता है, राज्य की उपयोगिता व्यक्तियों की माँगों को पूर्ण करने में है, राज्य यदि ऐसा नहीं करता तो राज्य की उपयोगिता समाप्त हो जाती है और व्यक्ति उसका विरोध कर नये सम्प्रभु के निर्माण के लिए स्वतन्त्र है। तृतीय– कानूनों को भी हॉब्स व्यक्ति की उपयोगिता के सन्दर्भ में देखता है, कानून द्वारा केवल व्यक्ति की अनियन्त्रित इच्छाओं या अविवेक निर्णीत कार्यों को निषिद्ध किया जाता है। हॉब्स के मतानुसार निजी विश्वासों और विचारों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, राज्य केवल सलाह दे सकता है कि व्यक्ति अपना वाह्य आचरण और उपासना की पद्धति को राज्य के कानून के अनुरूप पालन करे। चतुर्थ– हॉब्स के दर्शन की ज्यामिति पद्धति का आधार भी उपयोगिता है, जिससे सरल वस्तुओं के आधार पर जटिल वस्तुएँ निर्मित की जा सकें। पंचम– राज्य के व्यक्ति के लिए अनुपयोगी कानूनों के उल्लंघन का अधिकार भी हॉब्स द्वारा व्यक्तियों को दिया गया है। षष्ठम– धार्मिक सम्प्रदायों को स्वच्छन्द मत प्रचार की अनुमति हॉब्स द्वारा प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा और कल्याण को संकट में डाल सकती है और राज्य के संकट में आने से व्यक्ति पर भी संकट आयेगा। समझौते के उपरान्त ही नहीं समझौते के पूर्व भी प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों में भी उपयोगितावादी विचारों के दर्शन होते हैं, जैसे कि ''दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने लिए उनसे चाहते हो।''

हॉब्स समझौता उपरान्त एक निरंकुश शासन की स्थापना करता है, निरंकुश दो शब्दों का सम्मिलन है– निर+अंकुश, तात्पर्य जिस पर कोई नियन्त्रण न हो। यह अत्यधिक केन्द्रीकृत, दमनकारी और सैनिक शक्ति पर आधारित शासन व्यवस्था होती है, यह राजशाही से भिन्न है, क्योंकि राजशाही में व्यक्ति प्रचलित व निश्चित कानूनों द्वारा शासन करता है, वहीं निरंकुश तन्त्र में व्यक्ति स्वयं की इच्छा द्वारा शासन करता है। निरंकुश शासन में एक व्यक्ति शासन के सभी क्षेत्रों, यथा–आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सैनिक आदि में निरपेक्ष और असीमित शक्ति रखता है, जो प्रतिबन्ध रहित है, क्रान्ति, विद्रोह, विदेशी आक्रमण द्वारा ही इसे नियन्त्रित किया जा सकता है।

हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के व्यक्तिगत हित से प्रेरित व्यवहार के फलस्वरूप अराजक स्थिति को दूर कर शान्ति व सुरक्षा की आकांक्षा ने एक निरंकुश प्रभुसत्ता की स्थापना की है। हॉब्स के 'लेवियाथन' की कल्पना में प्रथम दृष्ट्या एक निरंकुश सत्ता के दर्शन होते हैं, यथा–राज्य की स्थापना के पश्चात् व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार समाप्त होकर सम्प्रभु के पास हस्तान्तरित हो जाते हैं, केवल आत्मरक्षा का अधिकार ही उसके पास शेष रहता है। द्वितीय– राज्य सामाजिक ही नहीं आर्थिक शक्ति के रूप में भी सर्वोच्च है, तृतीय– सम्प्रभु सभी अधिकारों और कानूनों का स्रोत है, पुरातन नियमों तथा ऐतिहासिक परम्पराओं का कोई स्थान शेष नहीं रहता, चतुर्थ– व्यक्ति को कानूनों का उल्लंघन का अधिकार नहीं, पंचम– सम्प्रभु अत्याचारी भी है तो व्यक्ति को विद्रोह का अधिकार नहीं है, षष्ठम– हॉब्स द्वारा राजतन्त्र का प्रबल समर्थन, सप्तम– राज्य करारोपण में स्वतन्त्र, जिसके लिए जन स्वीकृति आवश्यक नहीं, अष्टम– सम्प्रभु का

समझौते में सम्मिलित न होना, वह बन्धन रहित है।

हॉब्स के राजनीतिक विचारदर्शन में व्यक्तिवाद, उपयोगितावाद एवं निरंकुशवादी तत्वों के विश्लेषण के उपरान्त निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हॉब्स का सम्पूर्ण राजनीतिक चिन्तन व्यक्ति से प्रारम्भ और व्यक्ति पर ही समाप्त होता है। व्यक्ति को केन्द्रित मानकर उसके हित में राज्य की स्थापना हुई है, उसका राज्य दैवीय या शक्ति पर आधारित नहीं है, व्यक्ति को राज्य के विरोध का अधिकार भी प्राप्त है जो एक व्यक्तिवादी विचारक ही प्रदान कर सकता है। सामाजिक समझौते के द्वारा एक निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन वह बहुत दुराग्रही, चरम अतिवादी, कठोर, निरंकुश शासक नहीं है। विधियों के संरक्षण में व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग करते हैं, वह व्यक्ति के निजी कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करता है, केवल व्यक्तियों के अविवेकपूर्ण कार्यों को नियमित करने हेतु विधियों का अनुपालन अनिवार्य है। ''विधि उस बाढ़ के समान है जिसे यात्रियों को रोकने के लिए नहीं, प्रत्युत सन्मार्ग पर रखने के लिए खड़ा किया जाता है।'' हॉब्स के निरंकुश सत्ता से सम्बन्धित विचारों की कटु आलोचना की जाती है, लेकिन शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित करने के लिए दृढ़ शक्ति सम्पन्न कठोर शासन की आवश्यकता है। हॉब्स द्वारा राज्य की उत्पत्ति सम्बन्धी एक अभिनव सिद्धान्त का निरूपण किया गया जो व्यक्ति की इच्छा के कारण हुआ, उसने राज्य को एक मानवीय संस्था घोषित किया। व्यक्ति की सुरक्षा और कल्याण हॉब्स के सम्पूर्ण दर्शन का केन्द्रबिन्दु है, राज्य की स्थापना, उसके नियम निर्माण, उसका अस्तित्व, सभी व्यक्ति की उपयोगिता की दृष्टि से अहम है। आत्मरक्षा के अभाव में सम्प्रभु की आज्ञा की अवहेलना इन सभी के पार्श्व में हॉब्स का व्यक्तिवाद ही प्रधान रूप से कारणभूत है। शासक को अपदस्थ करने का अधिकार कोई व्यक्तिवादी चिन्तक ही दे सकता है। उसके द्वारा राज्य के प्रत्येक कार्य को व्यक्ति के उपयोगी होने के दृष्टिकोण से देखना वर्तमान के कल्याणकारी राज्य का मार्गदर्शक है। उसके द्वारा परम सत्ता का पहली बार वैधीकरण का सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हॉब्स का दर्शन पूर्णतः व्यक्तिवादी है, निरंकुशतावाद के दर्शन व्यक्तिवाद के प्रतिपूरक हैं। इस विषय में डनिंग का मत है कि, ''हॉब्स के सिद्धान्त में राजशक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी मूल आधार पूर्णतः व्यक्तिवादी है। वह लॉक, रूसो, बेन्थम, मिल, ह्यूम का प्रेरणास्रोत भी रहा। इस प्रकार हॉब्स का चिन्तन एक अनूठा चिन्तन है, जिसमें व्यक्तिवाद, निरंकुशतावाद व उपयोगितावाद के दर्शन एक साथ होते हैं। वह उपयोगितावाद के आधार पर निरंकुशतावाद का समर्थन कर उदारवाद के लिए एक आधार तैयार करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. गाबा ओ0पी0, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, मयूर पेपर बैक्स, नोयडा, 2011
2. फोस्टर एम0बी0, मास्टर्स ऑफ पालिटिकल थॉट, जार्ज एण्ड हारपर एण्ड कम्पनी, लन्दन, 1963
3. सेबाईन जी0एच0, हिस्ट्री ऑफ पालिटिकल थ्योरी, जार्ज एण्ड हारपर एण्ड कम्पनी, लन्दन, 1956
4. सिंह सुखबीर, हिस्ट्री ऑफ पालिटिकल थॉट, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, 2017 वॉल्यूम–1
5. वर्मा विश्वनाथ, पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा का इतिहास, हिन्दी समिति, लखनऊ, 1964